मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

भोपाल, तारीख 11 जनवरी, 1971

क्रमांक 32-1090-एक (3)-70

प्रति,

शासन के सर्व विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच में शासकीय सेवक की सहायता करने वाले दूसरे शासकीय सेवक एवं गवाहों को सहूलियतें देने के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (8) में प्रावधान है कि विभागीय जांच के सिलसिले में अभियुक्त शासकीय सेवक किसी अन्य शासकीय सेवक की सहायता ले सकता है. उपरोक्त नियमों में यह भी प्रावधान है कि अभियुक्त शासकीय सेवक अपनी ओर से गवाह प्रस्तुत कर सकता है. शासन के ध्यान में आया है कि अभियुक्त शासकीय सेवक की सहायता करने वाले अधिकारी एवं उसके गवाहों को यात्रा भत्ता अक्सर नहीं दिया जाता है. इस संबंध में आपका ध्यान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2269-चार-आर-दो, तारीख 20 सितम्बर, 1965 की ओर आकर्षित किया जाता है. वित्त विभाग के ज्ञापन के अनुसार अभियुक्त शासकीय सेवक के गवाह एवं उसकी सहायता करने वाले शासकीय कर्मचारी को यात्रा भत्ता शासन द्वारा देय है. अतएव भविष्य में सभी प्रकरणों में नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिये.

2. शासन के ध्यान में यह भी लाया गया है कि अभियुक्त शासकीय सेवक की सहायता करने वाले शासकीय कर्मचारी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे जांच में मदद के लिये विभागीय जांच की तिथियों पर जाने का अवसर नहीं दिया जाता इस कारण भी विभागीय जांच में विलंब हो जाता है. जांच अधिकारी/अनुशासिक प्राधिकारी को चाहिये कि वे सहायता करने वाले शासकीय कर्मचारी के वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी विभागीय जांच में मददगार के रूप में कार्य कर रहा है, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि उस शासकीय सेवक को, नियत तिथि पर, अभियुक्त शासकीय सेवक की सहायता करने के लिये उपलब्ध करें, यदि ऐसा करने से अन्य शासकीय कार्य में कोई अपरिहार्य विघ्न उपस्थित न होता हो.

3. अभियुक्त शासकीय सेवक को गवाह प्रस्तुत करने में सुविधा देने की दृष्टि से जांच अधिकारी, अनुशासिक प्राधिकारी को चाहिये कि, यदि अभियुक्त शासकीय सेवक प्रार्थना करे तो, उसके गवाहों को एक बार नोटिस जारी कर दे. यदि नोटिस तामिल करने के बाद भी गवाह हाजिर नहीं होते हैं तो यह अभियुक्त शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने गवाह खुद लाये.

हस्ता./-
(मु. वि. गर्दे)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.